

अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

केम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत पीठासीन अधिकारी नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी
भरतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह जी जाति राजपूत
निवासी झाडोलीवीर तहसील शिवगंज

बनाम

अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र-71/2024

-:आदेश:-

दिनांक 08.03.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार मौजा झाडोलीवीर पटवार हल्का झाडोलीवीर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मांडानी तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 नया खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 487 रकबा 10.1495 हैक्टर भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी का नाम श्री भरतसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे-आधारकार्ड, राशनकार्ड, टी.सी. इत्यादि में प्रार्थी का नाम भरतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत दर्ज है। प्रार्थी ने अपना नाम भरतसिंह की जगह भरतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई, जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार ग्राम झाडोलीवीर के नया खाता संख्या 24 खसरा संख्या 487 में दर्ज नाम सहखातेदार श्री भरतसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत के स्थान पर श्री भरतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह नाम दुरस्त किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीनामा से नाम शुद्ध किये जाने की सहमति दी। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा, दस्तोवजी साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी की भूमि मौजा झाडोलीवीर पटवार हल्का झाडोलीवीर तहसील शिवगंज की राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 487 रकबा 10.1495 हैक्टर भूमि में दर्ज सहखातेदार भरतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर भरतपालसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करें। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

123
8/3/25

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. तहसीलदार शिवगंज ।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरौही)

लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)-
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)